डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर

(A State Funded University of Rajasthan)

"रूसा भवन", शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015

www.alujaipur.ac.in E-mail: registrar@alujaipur.ac.in

क्रमांकः प.6II(77)शैक्षणिक–II / अविवि / 2020–21 / 2900 दिनांकः 11.08.2021

सम्बद्धता आदेश 2020–21

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्याक 6) की धारा 4 की उपधारा (1) (2) (क) (ख) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 (एक सत्र) के लिये कुलपति महोदय की अनुमति से निम्न विधि महाविद्यालय को 'अस्थाई सम्बद्धता' (Provisional Affiliation) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	निरीक्षण समिति द्वारा सम्बद्धता हेतु लगायी गई शर्तें
Nehru Memorial Law College, Hanumangarh Town-335513 (Raj.)	LL.B (TDC) 60 Seats (Five Section) LL.M 60 Seats (One Section) DLL 60 Seats (One Section)	1.Subject the approval of BCI, if not obtained. 2. College may asked to appoint duly selected Principal and Faculty.

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.15(5)शिक्षा–4 / 2020 जयपुर, दिनांक 22.07.2020 एवं दिनांक 04.02.2021 की अनुपालना में यह 'अस्थाई सम्बद्धता' (Provisional Affiliation) दी जा रही है।
2. सत्र 2021–22 की सम्बद्धता हेतु आवेदन के समय विश्वविद्यालय के निरीक्षण समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
3. शिक्षा सत्र 2020–21 में विधि प्रथम वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर, एवं डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले छात्रों का नामांकन एवं परीक्षा कार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही सम्पादित होना है।
4. सत्र 2019–20 तक प्रवेशित / नामांकित सभी छात्रों की परीक्षा आयोजन व उपाधि अंकतालिका इत्यादि प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूर्व विश्वविद्यालय का ही होगा।
5. संस्था द्वारा स्थायी / अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क BCI/ आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान को आवेदन करना होगा।
6. संस्था सत्र 2021–22 में निर्धारित अवधि में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर नियमानुसार अस्थाई / स्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
7. आवश्यकतानुसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कभी भी किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी। जिसकी कभी भी समीक्षा की जा सकेगी। समीक्षा पर इस विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं BCI द्वारा जारी निर्धारित सीट हेतु अनुमोदन पत्र इस कार्यालय के पत्र के दिनांक से 07 दिन में भिजवाने का श्रम करावें।
9. यह मानद सम्बद्धता डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम, 2019 (संख्याक 6) की धारा 4 की उपधारा (1) व (2) (क) (ख') में वर्णित अनुरुप सत्र 2020–21 हेतु दी जा रही है। भविष्य में महाविद्यालय को इस विश्वविद्यालय के उक्त अधिनियम व परिनियमों, आर्डिनेन्स और विनियमों एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों और बोर्ड ऑफ मेनेजमेन्ट की शर्तों तथा समय–समय पर होने वाले संशोधनो के अध्यधीन रहना होगा।

11/08/2021

(अयूब खान, आर.ए.एस.)
कुलसचिव